उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
21/019	136 L.RA	अहमदपुरा	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
हरि प्रसाद	बनाम	राज. सरकार
वकील :- राजेश लोधा	**आदेश पत्रक**	वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
2/8/019	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब कर पत्रावली दिनांक 20/8/019 को पेश हो।	01/10
20/8/019	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 28/8/019 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
28/8/019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 01/10/2019 को पेश हो।	
01/10/019	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 30/10/019 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
30/10/019	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 3/12/019 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

प्रशासन गाँवो के संग अभियान-2021 फोलोअप कैम्प / शिविर ब्लॉक स्तरीय कार्यवाही

5/6/22 पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 के ब्लॉक स्तरीय फोलोअप कैम्प / शिविर ग्रा.पं. बापचा पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण धारा 136 L.R Act न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम अहमदपुरा तह. छबड़ा के खाता संख्या 02 जमाबंदी सं० 2077-2080 में प्रार्थी का अशुद्ध नाम हरगोविंद दर्ज है जिसे हरीप्रसाद शुद्ध करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबड़ा से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार छबड़ा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम अहमदपुरा तहसील छबड़ा की जमाबंदी सं० 2077-80 में खाता संख्या 2 में हरिप्रसाद पुत्र धारीलाल का नाम दर्ज होती इंतकाल संख्या 56 दिनांक 28/12/78 से हरगोविंद पुत्र धारीलाल दर्ज हुआ है जबकि पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में हरगोविंद व हरिप्रसाद दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। तथा सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद दर्ज है। अतः हरगोविंद के स्थान पर प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद दर्ज किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

हमने तहसीलदार छबड़ा की रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम कड़ैयाहाट की जमाबंदी सम्वत 2073-2076 का अवलोकन कर पर प्रार्थी का नाम - हरगोविंद पुत्र धारी दर्ज होना पाया जाता है। तथा दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा बैंक की डायरी आदि में प्रार्थी का नाम हरिप्रसाद दर्ज होना पाया जाता है।

मुताबिक तहसीलदार छबड़ा की अनुशंषा के आधार पर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 L.R Act के अन्तर्गत ग्राम कड़ैयाहाट के खाता

उपखण्ड अधिकारी
... जिला बाराँ (राज.)

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
खोला	खाता संख्या 2 में प्रार्थी का नाम हरगोविंद के स्थान पर हरिप्रसाद उर्फ हरगोविंद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश तहसीलदार छबड़ा को दिये जाते है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति तहसीलदार को भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

कार्यालय
क्रमांक